बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः 285530 पटना, दिनांकः 22/09/2016

ग्रा०वि०-15-बैठक -18/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०

सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष

जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषयः **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के उपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश ज्ञापांकः 68/सी.; दिनांकः 05.08.2016 निर्गत किया गया है। उक्त दिशा-निर्देश के अनुसार खुले में शौच से मुक्त पंचायत बनाने हेतु अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वार्ड में शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा तथा वार्ड को ODF घोषित किए जाने के उपरांत ही संबंधित वार्ड के लाभार्थियों के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। ज्ञातव्य है कि राज्य में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण की प्रगति वर्तमान में अत्यंत ही असंतोषजनक है। वर्ष 2016-17 में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य 41,26,766 के विरुद्ध अब तक मात्र 43,988 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय का निर्माण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के IMIS पर प्रतिवेदित किया गया है।

दिनांक 26.08.2016 को राज्य मुख्यालय में आयोजित जिला समन्वयकों की समीक्षा बैठक में यह सूचना प्राप्त हुई कि लगभग सभी जिलों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु आवेदन जिला जल एवं स्वच्छता समिति में समर्पित है, जिनका भुगतान लंबित है। इस संबंध में जिला समन्वयकों से पृच्छा करने पर बताया गया कि विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश ज्ञापांकः 68/सी.; दिनांकः 05.08.2016 के अनुसार वार्ड को ODF घोषित किए जाने के उपरांत ही लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना है, अतः प्राप्त आवेदन के लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि दिनांक 30.08.2016 से पूर्व निर्मित हुए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन किया जाय। ऐसे पंचायत जो ODF हो चुके है या ODF होने के लिए तैयार है, वैसे पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाय। इस पत्र की निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर लाभार्थियों को उनके बैंक खाता में प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के IMIS पर प्रतिवेदित करना सुनिश्चित किया जाय।

इसके उपरांत दिनांक 01.09.2016 से यह सुनिश्चित करें कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान पत्रांक 68/सी.; दिनांक 05.08.2016 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में ही किया जाय साथ-साथ सभी जिला जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा राज्य मुख्यालय को यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय कि उनके जिला में दिनांक 30.08.2016 से पूर्व निर्मित हुए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के प्रोत्साहन राशि के भुगतान से संबंधित कोई भी मामला/आवेदन लंबित नहीं है।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

15/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांकः 285530 पटना, दिनांकः 22/09/16

ग्रा०वि०-15-बैठक -18/2016

प्रतिलिपिः सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति/सभी निदेशक-लेखा, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति/सभी जिला समन्वयक, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव

ज्ञापांकः 285530 पटना, दिनांकः 22/09/16

ग्रा०वि०-15-बैठक -18/2016

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव